राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2097/2007/उदयपुर

मैसर्स हसँ प्रोडक्ट, उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
करापवंचन, उदयपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम सिंघवी,
अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, ...प्रत्यर्थी की ओर से.
उपराजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 20/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 162/आरएसटी/2006–07 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 02.08.2007 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 1999–2000 का प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश धारा 29(8)(बी) के तहत दिनांक 01.09.2006 को पारित किया गया जिसमें उसके द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये टायरों को रीट्रेडिंग कर विक्रय किया गया था तथा ऐसी बिक्री को कर चुकी घोषित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी बिक्री को कर योग्य मानकर, कर रूपये 31,087/– सरचार्ज रूपये 4,663/– व ब्याज रूपये 2,145/– तथा धारा 65 of RST Act के तहत शास्ति रूपये 71,500/– अरोपित करते हुये कुल मांग रूपये 1,09,395/– की सृजित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2007 से कर व ब्याज को यथावत रखते हुये शास्ति को अपास्त करते हुये अपीलार्थी की अपील को आंशिक स्वीकार की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर व ब्याज के सम्बन्ध में पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उसके द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये टायरों पर रीट्रेडिंग कर ऐसे टायरों को कर चुका विक्रय किया है। अतः उन पर कर व ब्याज को यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भूल की गयी है। अतः कर व ब्याज को अपास्त किया जावें।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने उपायुक्त (अपील्स) के निर्णय को पूर्णतया उचित बताकर अपीलार्थी की अपील निरस्त करने के लिए आग्रह किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से पुराने टायर खरीद कर उनकों रीट्रेडिंग करके, कर चुका विक्रय किया है। परन्तु अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये टायरो को कर चुका नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उन पर किस बिन्दु पर कर चुकाया गया उसकी सीरीज off sales में कर चुकाना प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी बिक्री कर योग्य बिक्री होती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से उस पर कर सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, तथा अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से उसे कायम रखा गया है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

20-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य